



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 641]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2008/अग्रहायण 14, 1930

No. 641]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2008/AGRAHAYANA 14, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 838(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48)की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग (अस्थायी पुल) नियम 1964, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस वसूल करना) नियम 1997, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क-लोक वित्त पोषित परियोजना) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस की दर) नियम 1997 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शनों, स्थायी पुलों, उपमार्गों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस के संग्रहण हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 हैं।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व निष्पादित करारों और संविदाओं और आमंत्रित निविदाओं को लागू नहीं होंगे।
2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
- (क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है;
- (ख) 'आधार वर्ष' से 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की अवधि अभिप्रेत है;
- (ग) 'उपमार्ग' से किसी कस्बा या नगर से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई सेक्शन अभिप्रेत है;

- (घ) 'रियायतग्राही' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके साथ अधिनियम की धारा 8 क के अधीन करार किया गया है ;
- (ङ.) 'उत्थापित राजमार्ग' से राष्ट्रीय राजमार्ग का ऐसा सेक्शन अभिप्रेत है जिसे पीयरों या स्तंभों की सहायता से भूमि स्तर से ऊपर उठाया गया है ;
- (च) 'निष्पादन प्राधिकारी' से अधिनियम की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
- (छ) 'एक्सप्रेस मार्ग' से तीव्र गति के यातायात के लिए उपयुक्त और नियंत्रित पहुंच सहित विभाजित वहन मार्ग वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अभिप्रेत है ;
- (ज) 'वित्तीय वर्ष' से किसी वर्ष की 1 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;
- (झ) किसी यान के संबंध में 'सकल यान भार' से यान के कुल भार और मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन उस यान के लिए यथा अनुज्ञेय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत भार अभिप्रेत है ;
- (ञ) 'लेन' से मुख्य वहन मार्ग का भाग बनने वाली और तीन मीटर और पचास सेंटीमीटर की न्यूनतम चौड़ाई वाली लेन अभिप्रेत है ;
- (ट) 'यांत्रिक यान' से अपनी शक्ति के अधीन चलने वाला कोई यान अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन यथा परिभाषित मोटर यान भी है ;
- (ठ) 'अधिसूचना' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
- (ड) 'प्राइवेट विनिधान परियोजना' से यथास्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से संबंधित परियोजना अभिप्रेत है जिसके लिए रियायतग्राही के साथ कोई करार किया गया है ;
- (ढ) 'लोक वित्त पोषित परियोजना' से ऐसी परियोजना अभिप्रेत है जो उपर्युक्त खंड (ड) में यथा परिभाषित प्राइवेट विनिधान परियोजना नहीं है और इसके अंतर्गत ऐसी प्राइवेट विनिधान परियोजना भी है, जिसके संबंध में करार समाप्त हो गया है ;
- (ण) 'पथकर प्लाजा' से फीस के संग्रहण के लिए बनाया गया कोई भवन, संरचना या बूथ अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. फीस का उद्ग्रहण — (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के, यथास्थिति, किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग बनने वाली सुरंग के उपयोग के लिए फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग को ऐसी फीस या उसके भाग के उद्ग्रहण से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन उद्ग्रही फीस का संग्रहण लोक वित्त पोषित परियोजना के माध्यम से निर्मित, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के पूरा होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर प्रारंभ होगा।

(3) प्राइवेट विनिधान परियोजना की दशा में, उप-नियम (1) के अधीन उद्ग्रही फीस का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के निबंधनों के अनुसार किया जाएगा।

(4) यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए दुपहिया, तिपहिया, ट्रेक्टरों और पशु-चालित यानों के लिए कोई फीस उद्ग्रही नहीं की जाएगी ;

परंतु तिपहिया, ट्रेक्टरों और पशु-चालित यानों को, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए वहां अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के स्थान पर कोई सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है :

परंतु यह और कि जहां सर्विस सड़क या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है और किसी दुपहिया का स्वामी, चालक या उसका भारसाधक व्यक्ति यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग कर रहा है तो उससे कार पर उद्ग्रही फीस का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 - इस नियम के प्रयोजनों के लिए (क) 'वैकल्पिक सड़क' से ऐसी अन्य सड़क अभिप्रेत है जिसका वहन मार्ग दस मीटर से अधिक चौड़ा है और जिसकी लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग के उस सेक्शन की तत्समान लंबाई के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(ख) 'सर्विस सड़क' से राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन के समानांतर चलने वाली सड़क अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के उस सेक्शन से संलग्न भूमि के लिए पहुंच प्रदान करती है।

(5) इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित फीस को निकटतम पाँच रुपये के गुणांक में पूर्णांकित और उद्ग्रहीत किया जाएगा।

4. फीस की आधार दर - (1) लोक वित्त पोषित परियोजना या प्राइवेट विनिधान परियोजना द्वारा निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस की दर समान होगी ।

(2) आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार या अधिक लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर, ऐसे सेक्शन की लंबाई को निम्नलिखित दरों से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होगी अर्थात् :-

यान का प्रकार	फीस की प्रति किमी. आधार दर (रुपए में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
हल्का वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक	2.20
भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के यान (सात या अधिक धुरी)	4.20

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए :

(क) , 'कार' या 'जीप' या 'वैन' या 'हल्का मोटर यान' से ऐसा यांत्रिक यान अभिप्रेत है जिसका सकल यान भार सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक नहीं है या मोटर यान अधिनियम के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत यात्री वहन क्षमता चालक को छोड़कर बारह से अधिक नहीं है ;

(ख) 'हल्का वाणिज्यिक यान' या 'हल्का माल यान' या 'मिनी बस' से सात हजार पाँच सौ किलोग्राम से अधिक किंतु बारह हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथा विनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बारह से अधिक किंतु बत्तीस से कम यात्री वहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक यान अभिप्रेत है ;

(ग) 'ट्रक' या 'बस' से बारह हजार किलोग्राम से अधिक किंतु बीस हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार या मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में यथाविनिर्दिष्ट चालक को छोड़कर बत्तीस से अधिक यात्री वाहन क्षमता वाला कोई यांत्रिक यान अभिप्रेत है ;

(घ) 'भारी निर्माण मशीनरी' या 'अर्थ मूविंग उपस्कर' या 'बहुधुरीय यान' से भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या तीन से छह धुरी वाले बहुधुरीय यान सहित बीस हजार

किलोग्राम से अधिक किंतु साठ हजार किलोग्राम से कम सकल यान भार वाला यान अभिप्रेत है ; और

(ड.) 'विशाल आकार के यान' से सात या अधिक धुरियों वाला यांत्रिक यान या ऐसा यान अभिप्रेत है जिसका सकल यान भार साठ हजार किलोग्राम से अधिक है ।

(3) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन और जिस पर उन्नयन के लिए औसत विनिधान एक करोड़ रु० प्रति किलोमीटर से अधिक हो गया है, के उपयोग के लिए फीस की दर नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस की दर का साठ प्रतिशत होगी ।

(4) दस करोड़ रुपए से अधिक लागत पर निर्मित स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग हेतु आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की दर निम्नानुसार होगी :-

फीस की आधार दर (प्रति यान प्रति फेरा रुपए)					
स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत (करोड़ रु०)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान	विशाल आकार के यान
10 से 15	5	7.50	15	22	30
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, पंद्रह करोड़ रुपए से अधिक और एक सौ करोड़ रुपए तक	1	1.50	3	4.50	6
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, एक सौ करोड़ रुपए से अधिक और दो सौ करोड़ रुपए तक	0.75	1.15	2.25	3.40	4.50
प्रत्येक अतिरिक्त पाँच करोड़ रुपए या उसके भाग के लिए, दो सौ करोड़ रुपए से अधिक	0.50	0.75	1.50	2.25	3

परंतु उस राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन के लिए जिस पर पचास करोड़ ₹0 या अधिक लागत वाला स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग स्थित है, फीस की संगणना करते समय ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे सेक्शन की लंबाई में से अलग कर दिया जाएगा और ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग और सुरंग के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का उद्ग्रहण किया जाएगा ।

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग की लागत पचास करोड़ रुपए से कम है तथा उक्त स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन का भाग बनता है वहां ऐसे स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के लिए फीस की उपर्युक्त दर के बजाए नियम 4 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस की दर लागू होगी ।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, -

- (क) प्राइवेट विनिधान परियोजना की लागत, रियायतग्राही से बोली आमंत्रित करने से पूर्व निष्पादन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित लागत होगी ;
- (ख) लोक वित्त पोषित परियोजना की लागत, उसके पूरा होने के छह मास पूर्व निष्पादन प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित लागत होगी ।

5. फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण – (1) नियम 4 में विनिर्दिष्ट दरें 1 अप्रैल, 2008 से प्रशमन के बिना प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत तक बढ़ाई जाएंगी और बढ़ाई गई ऐसी दर आगामी वर्षों के लिए आधार दर समझी जाएगी ।

(2) लागू आधार दरें 6 जनवरी, 2007 को समाप्त होने वाले सप्ताह (अर्थात् 208.7) और उस वर्ष की 1 जनवरी जिसमें ऐसा संशोधन किया जा रहा है, को या उसके ठीक पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह के बीच थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि प्रदर्शित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाएंगी किंतु ऐसा पुनरीक्षण थोक कीमत सूचकांक में वृद्धि के चालीस प्रतिशत तक सीमित होगा ।

(3) फीस की लागू दर अवधारित करने का सूत्र निम्नलिखित होगा :-

$$\text{फीस की लागू दर} = \text{आधार दर} + \text{आधार दर} \times \frac{(\text{थोक कीमत सूचकांक क} - \text{थोक कीमत सूचकांक ख})}{\text{थोक कीमत सूचकांक ख}} \times 0.4$$

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) फीस की लागू दर, प्रयोक्ता द्वारा संदेय दर होगी ;
- (ख) आधार दर, नियम 5 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 4 में विनिर्दिष्ट दर होगी ;

- (ग) थोक कीमत सूचकांक क से इन नियमों के अधीन पुनरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्व की 1 जनवरी को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अभिप्रेत है ; और
- (घ) थोक कीमत सूचकांक ख से 6 जनवरी, 2007 को समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक कीमत सूचकांक अर्थात् 208.7 अभिप्रेत है ।

दृष्टांत :

यदि 5 जनवरी, 2008 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक कीमत सूचकांक (अर्थात् 216.6) को लागू करके वर्ष 2008-09 के लिए पुनरीक्षण किया जाना है तो कार, जीप या वैन के लिए दर नीचे संगणित किए गए अनुसार 0.6796 होगी :

$$\text{फीस की लागू दर} : 0.6695 + 0.6695 \times \frac{216.6 - 208.7}{208.7} \times 0.4 = 0.6796$$

(4) इस नियम के अधीन फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा ।

6. फीस का संग्रहण - (1) इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस पथकर प्लाजा पर यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत की जाएगी ।

(2) प्रत्येक यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पथकर प्लाजा पार करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करेगा ।

(3) इन नियमों के अधीन संग्रहीत फीस का संदाय नकद रूप में या स्मार्ट कार्ड के उपयोग द्वारा या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या अन्य समान युक्ति पर किया जाएगा :

परंतु स्मार्ट कार्ड के उपयोग द्वारा या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी अन्य युक्ति का प्रयोग करके फीस का संदाय करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

(4) यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति जो फीस के संदाय के लिए ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी युक्ति की संस्थापना का चयन करता है, ऐसी संस्थापना के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास उपस्कर की लागत के समतुल्य प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप करेगा और ऐसे प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा ।

(5) नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन ऐसी फीस प्राप्त करने वाला व्यक्ति यांत्रिक यान के चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति को एक रसीद उसमें उस फीस की प्राप्ति की तारीख और समय, प्राप्त की गई कुल रकम और उस यान का वर्ग जिसके लिए फीस प्राप्त की गई है, विनिर्दिष्ट करते हुए जारी करेगा :

परंतु जहां फीस का संदाय, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से या ऑन बोर्ड यूनिट (ट्रांसपोंडर) या किसी ऐसी अन्य युक्ति पर किया जाता है, वहां रसीद केवल मांग पर ही जारी की जाएगी ।

(6) फीस का संग्रहण, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी और रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्थायी रूप से किया जाएगा ।

(7) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के संबंध में इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा अपने पदधारियों के माध्यम से या किसी ठेकेदार के माध्यम से किया जाएगा ।

7. फीस का प्रेषण और विनियोजन (1) लोक वित्त पोषित परियोजनाओं की दशा में, प्रत्येक निष्पादन प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अधीन संग्रहीत फीस केन्द्रीय सरकार को प्रेषित की जाएगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा किसी या सभी निष्पादन प्राधिकारियों को उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए संपूर्ण फीस या उसके किसी भाग को विनियोजित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी ।

परंतु यह और कि प्राइवेट विनिधान परियोजनाओं की दशा में इन नियमों के उपबंधों के अधीन संग्रहीत फीस रियायतग्राही द्वारा, ऐसे रियायतग्राही द्वारा किए गए करार के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन अपनी बाध्यताओं के अनुपालन के लिए विनियोजित की जाएगी ।

(2) प्रत्येक निष्पादन प्राधिकारी नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन निष्पादन प्राधिकारी द्वारा विनियोजित किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई रकम से अधिक संग्रहीत फीस की रकम को वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रशासनिक और प्रबंधन व्यय सहित संग्रहीत रकम और फीस के संग्रहण के संबंध में उपगत व्यय दर्शित करने वाले वार्षिक विवरण के साथ केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्रशासनिक और प्रबंधन व्यय निर्धारित करेगी जिन्हें निष्पादन प्राधिकारी द्वारा काटे जाने और अपने पास प्रतिधारित किए जाने को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

11. फीस के संदाय से छूट - (1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी -

(क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं :-

- i) भारत के राष्ट्रपति;
- ii) भारत के उपराष्ट्रपति;
- iii) भारत के प्रधान मंत्री ;
- iv) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ;
- v) राज्यपाल ;
- vi) उप राज्यपाल ;
- vii) संघ के मंत्री;
- viii) मुख्य मंत्री ;
- ix) उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ;
- x) राज्य सभा के सभापति ;
- xi) लोक सभा अध्यक्ष ;
- xii) राज्य विधान परिषद के सभापति ;
- xiii) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष ;
- xiv) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ;
- xv) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ;
- xvi) राज्यों के मंत्री ; और
- xvii) सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ।

(ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है -

- i) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जो नौ सेना को भी विस्तारित किए गए हैं, के अनुसार छूट के लिए पात्र हैं ;
- ii) अर्द्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल ;
- iii) कार्यपालक मजिस्ट्रेट ;
- iv) अग्नि शमन विभाग या संगठन ;
- v) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जो ऐसे यान का प्रयोग निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या उसके प्रचालन और रखरखाव के लिए कर रहा है ।

(ग) एंबुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान ।

12. सूचना का संप्रदर्शन - (1) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यांत्रिक यान से प्रभारित की जाने वाली फीस की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के एक-एक समाचार पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक परिचालन है, प्रकाशित करेगा ।

(2) निष्पादन प्राधिकारी पथकर प्लाजा से एक हजार मीटर पहले हिंदी और अंग्रेजी में और पथकर प्लाजा से पाँच सौ मीटर पहले अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में सहज रूप से निम्नलिखित को संप्रदर्शित करेगा ;

- i) प्रत्येक वर्ग के यान के लिए संदेय फीस की रकम और नियम 9 के अधीन उपलब्ध रियायतें ;
- ii) फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग ; और
- iii) यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का नाम, पता और फोन या संपर्क नंबर ।

(3) संप्रदर्शन बोर्डों की ऊँचाई, उनकी गुणवत्ता और अक्षरों का आकार प्रयोक्ताओं के लिए सहज रूप से दृष्टव्य और पठनीय होगा ।

13. अनधिकृत संग्रहण - (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहीत अधिक फीस, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा और संग्रहीत अधिक फीस के पच्चीस प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि के साथ ऐसे प्राधिकारी या रियायतग्राही से उसकी वसूली कर सकेगा :

परंतु ऐसी अधिक फीस की वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(2) फीस के अप्राधिकृत संग्रहण से व्यथित यांत्रिक यान का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इस निमित्त, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उस शिकायत पर तीस दिन के भीतर अधिक संदाय के प्रतिदाय और ऐसे प्रयोक्ता को हुई असुविधा हेतु नुकसानियों के लिए आदेश पारित कर सकेगा ।

14. फीस का संदाय करने में असफलता - (1) यदि यांत्रिक यान का कोई चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के उपयोग के लिए फीस का संदाय नहीं करता है या संदाय करने से इंकार करता है तो उसके यान को राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग का उपयोग करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा यान यातायात के सामान्य प्रवाह को बाधा पहुंचाता है तो, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही ऐसे बाधक यान को, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग से हटवा सकेगा ।

(2) जहां, यांत्रिक यान का चालक, स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इन नियमों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संदाय करने से इंकार करेगा या उसमें असफल रहेगा तो उसकी वसूली यांत्रिक यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी से की जाएगी ।

(3) जहां यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई यांत्रिक यान देय फीस का संदाय किए बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन, स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग में चल रहा है, तो वहां वह उसके संदाय का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए उस यान को रोक सकेगा और ऐसे यान से शोध्य फीस की वसूली कर सकेगा।

15. अभिलेखों का सत्यापन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति - यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी को फीस के संग्रहण का सत्यापन करने तथा, यथास्थिति, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही के किसी दस्तावेज, अभिलेखों, अन्य सूचना, रसीदों या रिपोर्टों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

16. प्राइवेट विनिधान परियोजना के संबंध में फीस का संग्रहण - (1) नियम 3 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, रियायतग्राही द्वारा उसके करार के प्रवृत्त रहने तक, किया जाएगा।

(2) नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट करार की समाप्ति की तारीख से ही उद्ग्रहीत फीस का संग्रहण, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

17. अतिरिक्त अवरोधक के संस्थापन का वर्जन - पथकर प्लाजा से भिन्न किसी अन्य स्थान पर कोई अवरोधक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के सिवाए संस्थापित नहीं किया जाएगा जो यह समाधान होने के पश्चात् कि फीस का अपवंचन हुआ है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह अधिरोपित करे, फीस के अपवंचन को रोकने के लिए पथकर प्लाजा से दस किलोमीटर के भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा ऐसे अतिरिक्त अवरोधक की संस्थापना किए जाने की अनुमति दे सकेगा :

परंतु यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी किसी भी समय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी अनुमति को वापस ले सकेगा।

परंतु यह और कि जहां यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी, रियायतग्राही द्वारा अतिरिक्त अवरोधक की स्थापना किए जाने की अनुमति नहीं देता है, वहां इस प्रकार इंकार किए जाने के कारणों को युक्तियुक्त अवधि के भीतर रियायतग्राही को संसूचित किया जाएगा।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2008

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession of the National Highways (Temporary Bridges) Rules, 1964, the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the National Highways (Fees for the Use of National Highways Section and Permanent Bridge - Public Funded Project) Rules, 1997 and the National Highways (Rate of Fees) Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall not apply to agreements and contracts executed and bids invited prior to the publication of these rules.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the National Highways Act, 1956;
- (b) “base year” means the period from 1st April 2007 to 31st March 2008;
- (c) “bypass” means a section of the national highway bypassing a town or city;
- (d) “concessionaire” means a person with whom an agreement has been entered into under section 8A of the Act;
- (e) “elevated highway” means any section of national highway raised above ground level through support of piers or columns;
- (f) “executing authority” means an officer or authority notified by the Central Government under section 5 of the Act;
- (g) “expressway” means a national highway having a divided carriageway suitable for high speed traffic and with control of access;
- (h) “financial year” means the year commencing on the 1st day of April of a year and ending on 31st day of March of the succeeding year;

- (i) **“gross vehicle weight”** in respect of any vehicle means the total weight of the vehicle and load certified and registered by the registering authority as permissible for that vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (j) **“lane”** means a lane forming part of the main carriageway and having a minimum width of three meters and fifty centimeters;
- (k) **“mechanical vehicle”** means any vehicle driven under its own power including a motor vehicle as defined under the Motor Vehicles Act, 1988;
- (l) **“notification”** means a notification published in the Official Gazette;
- (m) **“private investment project”** means a project relating to section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, for which an agreement is entered into with a concessionaire;
- (n) **“public funded project”** means a project which is not a private investment project, as defined in clause (m) above and includes a private investment project in respect of which the agreement has expired;
- (o) **“toll plaza”** means any building, structure or booth made for collection of fee.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the National Highways Authority of India Act, 1988 shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Levy of fee.- (1) The Central Government may by notification, levy fee for use of any section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel forming part of the national highway, as the case may be, in accordance with the provisions of these rules:

Provided that the Central Government may, by notification, exempt any section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through a public funded project from levy of such fee or part thereof, and subject to such conditions as may be specified in that notification.

(2) The collection of fee levied under sub-rule (1) of rule 3, shall commence within forty- five days from the date of completion of the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, constructed through a public funded project.

(3) In case of private investment project, the collection of fee levied under sub-rule (1) shall be made in accordance with the terms of the agreement entered into by the concessionaire.

(4) No fee shall be levied for the use of the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, by two wheelers, three wheelers, tractors and animal drawn vehicles:

Provided that three wheelers, tractors and animal-drawn vehicles shall not be allowed to use the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, where a service road or alternative road is available in lieu of the said national highway, permanent bridge, bypass or tunnel:

Provided further that where service road or alternative road is available and the owner, driver or the person in charge of a two wheeler is making use of the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, he or she shall be charged fifty per cent. of the fee levied on a car.

Explanation 1.- For the purposes of this rule,- (a) "alternative road" means such other road, the carriageway of which is more than ten meters wide and the length of which does not exceed the corresponding length of such section of national highway by twenty per cent. thereof;

(b) "service road" means a road running parallel to a section of the national highway which provides access to the land adjoining such section of the national highway.

(5) The fee notified by the Central Government under these rules shall be rounded off and levied in multiple of the nearest Rupees five.

4. **Base rate of fee.** - (1) The rate of fee for use of the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel constructed through public funded project or private investment project shall be identical.

(2) The rate of fee for use of a section of national highway of four or more lanes shall, for the base year 2007-08, be the product of the length of such section multiplied by the following rates, namely:-

Type of Vehicle	Base rate of fee per km (in Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck	2.20
Heavy Construction Machinery(HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Explanation.- For the purposes of this rule,-

Provided further that where the cost of such permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, is less than Rupees fifty crore, and the said permanent bridge, bypass or tunnel, form part of the section of national highway, then instead of above rate of fee, the rate of fee specified under sub-rule (2) of rule 4 shall be applicable for such permanent bridge, bypass or tunnel.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule,-

- (a) the cost for private investment project, shall be the cost as assessed by the executing authority prior to invitation of bids from the concessionaire ;
- (b) the cost for public funded project shall be the cost as assessed by the executing authority six months prior to completion thereof.

5. Annual revision of rate of fee.-(1) The rates specified under rule 4 shall be increased without compounding, by three per cent. each year with effect from the 1st day of April, 2008 and such increased rate shall be deemed to be the base rate for the subsequent years.

(2) The applicable base rates shall be revised annually with effect from April 1 each year to reflect the increase in wholesale price index between the week ending on January 6, 2007 (i.e. 208.7) and the week ending on or immediately after January 1 of the year in which such revision is undertaken but such revision shall be restricted to forty per cent of the increase in wholesale price index.

(3) The formula for determining the applicable rate of fee shall be as follows:-

$$\text{Applicable rate of fee} = \text{base rate} + \text{base rate} \times \left\{ \frac{\text{WPI A} - \text{WPI B}}{\text{WPI B}} \right\} \times 0.4$$

Explanation.- for the purposes of this sub-rule, -

- (a) applicable rate of fee shall be the rate payable by the user;
- (b) base rate shall be the rate specified in rule 4 read with sub-rule (1) of rule 5;
- (c) WPI A means the wholesale price index of the week ending on or subsequent to 1st January immediately preceding the date of revision under these rules; and

(d) WPI B means the wholesale price index of the week ending on 6th January, 2007 i.e. 208.7.

Illustration:

If the revision is to be made for the year 2008-09 by applying the wholesale price index of the week ending on 5th January 2008 (i.e. 216.6), then the rate for car, jeep or van will be 0.6796 as computed below:

$$\text{Applicable rate of fee: } 0.6695 + 0.6695 \times \left\{ \frac{216.6 - 208.7}{208.7} \right\} \times 0.4 = 0.6796$$

(4) Annual revision of rate of fee under this rule shall be effective from first of April every year.

6. Collection of fee.- (1) Fee levied under these rules shall be collected by the Central Government or the executing authority or the concessionaire, as the case may be, at the toll plaza.

(2) Every driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle shall for the use of the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, before crossing the toll plaza, pay the fee specified under these rules.

(3) The fee collected under these rules shall be paid either in cash or through smart card or on board unit (transponder) or any other like device:

Provided that no additional charges shall be realised for making the payment of fee by use of a smart card or on board unit (transponder) or any other such device.

(4) Any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle who opts for the installation of on board unit (transponder) or any other such device for payment of fee, shall deposit a refundable security equivalent to the cost of the equipment with the Central Government, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, for such installation and no interest shall accrue on such security deposit.

(5) The person receiving such fee under sub-rule (2) of rule 6, shall issue to the driver, owner or person in charge of mechanical vehicle a receipt, specifying therein the date and time of such receipt of fee, total amount received, and the class of vehicle for which the fee has been received:

Provided that where the fee is paid through smart card or on board unit (transponder) or any other such device, a receipt shall be issued on demand only.

(6) The fee shall be collected in perpetuity by the Central Government or the executing authority, as the case may be, and for a specified period in accordance with the terms of the agreement entered into by the concessionaire.

(7) In respect of public funded projects the fee levied under these rules shall be collected by the Central Government, or the executing authority, as the case may be, through its own officials or through a contractor.

7. Remittance and appropriation of fee.- (1) In case of public funded projects, the fee collected under the provisions of these rules by every executing authority shall be remitted to the Central Government:

Provided that the Central Government may by notification allow any or all executing authorities to appropriate the whole or any part of the fee for such purposes and subject to such conditions as may be specified in the said notification:

Provided further that in case of private investment projects, the fee collected under the provisions of these rules shall be appropriated by the concessionaire in accordance with the provisions of and for the performance of its obligations under the agreement entered into by such concessionaire.

(2) Every executing authority shall remit to the Central Government, the amount of fee collected over and above the amount permitted to be appropriated by the executing authority under sub-rule (1) of rule 7, within ninety days from the date of the closing of the financial year along with an annual return showing the amount collected and the

expenditure incurred on collection of fee, including the administrative and management expenses.

(3) The Central Government shall by notification determine the administrative and management expenses which may be allowed to be deducted and retained by the executing authority.

8. Location of toll plaza.- (1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall establish a toll plaza beyond a distance of ten kilometers from a municipal or local town area limits:

Provided that the executing authority may, for reasons to be recorded in writing, locate or allow the concessionaire to locate a toll plaza within a distance of ten kilometers of such municipal or local town area limits, but in no case within five kilometers of such municipal or local town area limits:

Provided further that where a section of the national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, is constructed within the municipal or town area limits or within five kilometers from such limits, primarily for use of the residents of such municipal or town area, the toll plaza may be established within the municipal or town area limits or within a distance of five kilometers from such limits.

(2) Any other toll plaza on the same section of national highway and in the same direction shall not be established within a distance of sixty kilometers:

Provided that where the executing authority deems necessary, it may for reasons to be recorded in writing, establish or allow the concessionaire to establish another toll plaza within a distance of sixty kilometers:

Provided further that a toll plaza may be established within a distance of sixty kilometers from another toll plaza if such toll plaza is for collection of fee for a permanent bridge, bypass or tunnel.

9. Discounts.-(1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall upon request provide a pass for multiple journeys to cross a toll plaza within the specified period at the rates specified in sub-rule (2) of rule 9.

(2) A driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle who makes use of the section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, may opt for such pass and he or she shall have to pay the fee in accordance with the following rates, namely:-

Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

(3) A person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and uses it as such for commuting on a section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, may obtain a pass, on payment of fee at the base rate for the year 2007-2008 of Rupees one hundred and fifty per calendar month and revised annually in accordance with rule 5, authorising it to cross the toll plaza specified in such pass:

Provided that such pass shall be issued only if such driver, owner or person in charge of such mechanical vehicle resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza specified by such person and the use of such section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be, does not extend beyond the toll plaza next to the specified toll plaza.

Provided further that no such pass shall be issued if a service road or alternative road is available for use by such driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle.

(4) No pass shall be issued or fee collected from a driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle that uses part of the section of a national highway and does not cross a toll plaza.

10. Rate of fee for overloading.- (1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or a person in charge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, a mechanical vehicle which is loaded in excess of the permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall be liable to pay fee at such rate which is applicable for the next higher category of mechanical vehicles:

Provided that the payment of such fee for overloading shall not entitle a driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle to make use of such national highway and his or her vehicle shall be prevented from using the national highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

(2) The weight of a mechanical vehicle, as recorded at a weighbridge installed at the toll plaza, shall be the basis for levying the fee for overloading under this rule:

Provided that where no weighbridge has been installed at the toll plaza, no fee for overloading shall be levied and collected under this rule and the driver, owner or person in charge of the mechanical vehicle shall be liable to pay fee applicable for such vehicle only.

11. Exemption from payment of fee.- (1) No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle,-

(a) transporting and accompanying,-

- (i) the President of India;
- (ii) the Vice-President of India;
- (iii) the Prime-Minister of India;
- (iv) the Chief Justice of India;
- (v) the Governor;
- (vi) the Lieutenant Governor;
- (vii) the Union Minister;

- (viii) the Chief Minister;
- (ix) the Judge of Supreme Court;
- (x) the Chairman of the Council of State;
- (xi) the Speaker of the House of People;
- (xii) the Chairman of the Legislative Council of the State;
- (xiii) the Speaker of the Legislative Assembly of the State;
- (xiv) the Chief Justice of High Court;
- (xv) the Judge of High Court;
- (xvi) Ministers of States; and
- (xvii) Foreign dignitaries on State visit.

(b) used for official purposes by,-

- (i) the Ministry of Defence including those which are eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and rules made thereunder, as extended to Navy also;
- (ii) the Central and State armed forces in uniform including para military forces and police;
- (iii) an executive Magistrate;
- (iv) a fire-fighting department or organisation;
- (v) the National Highway Authority or any other organisation or person using such vehicle for inspection, survey, construction or operation and maintenance thereof; and

(c) used as ambulance.

12. Display of Information.- (1) The executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall publish a notice specifying the amount of fee to be charged from the mechanical vehicle, in at least one Newspaper, each in English and vernacular language, having a wide circulation in such area.

(2) The executing authority shall prominently display in Hindi and English one thousand meters ahead of the toll plaza and in English and local language five hundred meters ahead of the toll plaza,-

- (i) the amount of fee payable for each class of vehicles and the discounts available under rule 9;

4803 62/08-4

- (ii) the categories of vehicles exempted from payment of fee; and
- (iii) the name, address and telephone or contact number of the executing authority or the concessionaire, as the case may be.

(3) The height of the display boards, their quality and size of lettering shall be clearly visible and legible to the users.

13. Unauthorised collection.- (1) An officer authorised by the Central Government or by the executing authority, as the case may be, may assess the excess fee collected, if any, by the executing authority or the concessionaire, as the case may be, and recover the same from such authority or concessionaire, along with an additional sum equal to twenty five per cent. of the excess fee collected:

Provided that no recovery of such excess fee shall be made unless an opportunity of hearing has been given to the executing authority or concessionaire, as the case may be.

(2) Any driver, owner or person incharge of a mechanical vehicle aggrieved by unauthorised collection of fee, may lodge a complaint with the officer authorised by the Central Government or the executing authority, as the case may be, in this behalf, who shall after hearing the parties pass an order on such complaint for refund of excess payment and damages for the inconvenience suffered by such user within thirty days.

14. Failure to pay fee.- (1) If any driver, owner or person in charge of a mechanical vehicle does not pay or refuses to pay the fee for use of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, his or her vehicle shall not be allowed to use such section of national highway, permanent bridge, bypass or tunnel and in case such vehicle obstructs the normal flow of traffic, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, may get such obstructing vehicle removed from the national highway, permanent bridge, bypass or tunnel, as the case may be.

(2) Where the driver or the person in charge of a mechanical vehicle refuses or fails to pay the fee levied under these rules, the same shall be recovered from the registered owner of the mechanical vehicle.

(3) Where the Central Government, executing authority or the concessionaire, as the case may be, has reason to believe that a mechanical vehicle is plying on a section of the national highway, permanent bridge, bypass or tunnel without payment of fee due, it may stop such vehicle for the purpose of verifying the payment thereof and collect the fee due from such vehicle.

15. Power of Central Government to verify records.- An officer duly authorised by the Central Government or the executing authority, as the case may be shall have the power to verify the collection of fee, and inspect any document, records, other information, receipts or reports of the executing authority or the concessionaire, as the case may be.

16. Collection of fee in respect of Private Investment Project.- (1) The fee levied under the provisions of sub-rule (3) of rule 3 shall be collected by the concessionaire till its agreement is in force.

(2) On and from the date of expiry of the agreement specified under sub-rule (3) of rule 3, the fee levied shall be collected by the Central Government or the executing authority, as the case may be.

17. Bar for installation of additional barrier.- No barrier shall be installed at any place, other than at the toll plaza, except with the prior permission in writing of the Central Government or the executing authority, as the case may be, who after being satisfied that there is evasion of fee, may allow on such terms and conditions as it may impose, the installation of such additional barrier by the Central Government, the executing authority or the concessionaire, as the case may be, within ten kilometers from the toll plaza, to check the evasion of fee:

Provided that the Central Government or the executing authority, as the case may be, may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw such permission.

Provided further that where the Central Government or the executing authority, as the case may be, do not allow installation of an additional barrier by the

concessionaire, the reasons for such refusal shall be communicated to such concessionaire within a reasonable period.

[F. No. RW/NH-25016/1/2008/P&P]

P. K. TRIPATHI, Jt. Secy.